

2024/61

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम


अप्रार्थी/रेस्पॉडेन्ट

श्री अशोक कुमार जोशी
निवासी अपना घर कॉलोनी आबूरोड
तहसील आबूरोड
जिला सिरौही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
सचिव नगर सुधार न्यास आबू

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 17 वर्ष 2024

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
08.04.2024	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पॉडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबू को दिनांक 29.02.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपना घर कॉलोनी, ग्राम पंचायत सांतपुर में भवन निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृत करना, किस कार्यालय के क्षेत्राधिकार में आता है। यदि ग्राम पंचायत सांतपुर के क्षेत्राधिकार में है तो क्या उस पर यू.आई.टी. के नियम लागू होंगे अथवा नहीं। उक्त बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10/- जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबू को दिनांक 29.02.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपना घर कॉलोनी, ग्राम पंचायत सांतपुर में भवन निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृत करना, किस कार्यालय के क्षेत्राधिकार में आता है। यदि ग्राम पंचायत सांतपुर के क्षेत्राधिकार में है तो क्या उस पर यू.आई.टी. के नियम लागू होंगे अथवा नहीं। उक्त बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबू को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावे। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसिफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। निर्णय सर-ए-इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">  (शुभम चौधरी) जिला कलक्टर, सिरौही </p>	

